

By Speed Post



भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2785981(AO) FAX: 0291 – 2788706(Dir.)/2786498(PME)



F.No. 7(11) Saplings of tree Plant under KVK Rev. /16-17/Adm.V

Dated:24/04/2017

Work Contract for Preparation and maintenance of sapling of Ber under ICAR Mega Seed Project

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Last date and time for submission of tender | : 04/05/2017 up to 03.00 p.m. |
| 2. Date and time for opening the tender | : 04/05/2017 at 03.30 p.m. |

Note: *The tender form and other details are available on CAZRI website www.cazri.res.in& cpp portal. The interested Agency/Contractor/firm of repute may download the tender document from CAZRI official website and submitted the ADMN-V, CAZRI, Jodhpur office by or before the due date & time.*

From:-

Assistant Administrative Officer,
Adm-V, CAZRI,
Jodhpur 342 003

To

M/s _____

Sub:- Tender Document for Work Contract for Preparation and maintenance of sapling of tree plant at KVK, Jodhpur under KVK Revolving fund - regd.

Sir,

On behalf of the Director, CAZRI, Jodhpur sealed tenders are invited from interested Agency/Contractor/firm of repute for carrying out “Preparation and maintenance of sapling of tree plant at KVK Jodhpur under KVK Revolving fund” under Work Contract. Other details and Terms & Conditions are enclosed herewith as Annexure-I & II.

2. The tender must be submitted to this Office by or before **Due Date i.e. 04/05/2017 up to 03.00 P.M.** by Courier/Registered Post/Speed Post in sealed cover, failing which it will not be considered.
3. The Tender is to be opened on **Due Date i.e. 04/05/2017 at 03.30 P.M.** at CAZRI, Jodhpur.

Yours faithfully,

ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER (V)
For DIRECTOR

Encl: As above {Annexure-I & II}

Annexure-I

तकनीकी बिड

(प्रपत्र- अ)

फर्म/ठेकेदार का विवरण

1. निवादादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राइटर का नाम :

2. निवादादाता ठेकेदार/फर्म/एजेन्स का नाम व पता :

मैसर्स
.....
.....

3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालय: निवास: मोबाइल नं.

(ब) ई.मेल पता :

4. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का विवरण :

(साझेदारी डीड़/संविधान यदि सोसाइटी है तो)

5. अधिकृत डीलरपीप/एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर :

6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर :

7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस टैक्स नम्बर :

8. फर्म/ठेकेदार के बैंक का नाम व पता :

बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर: बैंक खाता नम्बर :

यदि डी.डी./बैंकर चैक है तो ICAR Unit-CAZRI, के पक्ष में

9. धरोहर राशि (Earnest Money Deposit): रु. Nil ICAR Unit-CAZRI, के पक्ष में

डी.डी./बैंकर चैक नं. दिनांक बैंक का नाम

10. निवादा प्रपत्र को बिना कांट-छांट के साफ-सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 04/05/2017 को दोपहर 03.00 बजे तक निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन खण्ड-पंचम के टेन्डर बोक्स में डलवावें। लिफाफे पर Work Contract for Preparation and maintenance of sapling of tree plant KVK Jodhpur under KVK Revolving Fund लिखा होना चाहिए अन्यथा निवादा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11- विस्तृत जानकारी हेतु देंखें काजरी वेबसाइट: www.cazri.res.in& cpp portal

Special Terms and conditions of Work Contract:

1. Bud wood/cuttings/seed will be supplied from mother block of Horticulture farm and all the activities will be carried out under supervision of concerned scientist.
2. Contract will include all the activity like mixture preparation, filling in desired size of polythene, seed sowing, root stock maintenance, watering up to final sale, spraying of insecticides, shifting etc.
3. Budded plant of at least 6 inch length will be considered at the time of counting the total number of sapling.
4. Clay, sand soil and compost required for potting media preparation will be arranged by firm.
5. Polythene bags of desired size and thickness and insecticides/fungicides will be arranged by firm.
6. Firm will be responsible for any type of mortality of seedlings during contract period.
7. Firm cannot claim for left over rootstock seedlings of over rootstock seedlings of ber in which budding was not successful.
8. Contract will be valid from date of issuing of office order till December, 2016.

ठेके की सामान्य शर्तें एवं नियम—

1. ठेकेदार स्वयं उपस्थित होकर कार्य स्थल का जायजा कार्यालय समय के दौरान ले सकते हैं ।
2. सफल निविदादाता को कार्यादेश मिलने पर अमानत राशि (Performance Security) बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में कार्यआदेश राशि का 6 प्रतिशत अथवा रु. 25,000/-एकमुश्त संस्थान में जमा करना होगा जोकि कार्य समाप्त होने के 60 दिन पश्चात तक वैद्य रहेगी। सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह (7 दिन) की अवधि में यह अमानत राशि (Performance Security) जमा करानी होगी और ठेका—कार्य आरम्भ करना होगा यदि वह ऐसा नहीं करता/करती हैं तो बिना किसी अतिरिक्त सूचना के आवंटित ठेका निरस्त माना जायेगा और भविष्य में उस ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी से किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार अपना पैन (PAN) नम्बर/टीन (TIN) नम्बर अवश्य लिखें एवं प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए । अधुरी कॉट—छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
6. बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
7. ठेकेदार/फर्म को संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है ।
8. ठेकेदार को अपने श्रमिकोंकी सूची फार्म अधीक्षक/पी0आई0 को प्रस्तुत करनी होगी ।
9. ठेकेदार/फर्म को लगाए गए मजदूरों का सम्पूर्ण विवरण समय—समय पर कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा ताकि मजदूरों को काजरी परिसर में आने हेतु अस्थायी प्रवेश पत्र जारी किये जा सकें । बिना प्रवेश पत्र किसी भी व्यक्ति / मजदूर को संस्थान परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी ।
10. ठेकेदार/फर्म द्वारा लगाए गए श्रमिकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए, सभी श्रमिकों को हिन्दी में बातचीत करने का यथा सम्भव ज्ञान होना चाहिए ।
11. ठेकेदार/फर्म को ठेका कार्य की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी । संविदा कार्यों के लिए मॉग—कर्ता ([इन्डेन्चर/पी0आई0](#)) को कार्य की आवश्यकतानुसार सभी सुविधाएँ उपलब्ध करानी होगी । कार्य विभाग के वैज्ञानिक, तकनीकी अधिकारी, सुपर—वाइजर के निर्देशानुसार सन्तोषजनक ढंग से सम्पन्न करना होगा ।
12. फार्म में करवाए जाने वाले कृषि एवं कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोतरी की जा सकती हैं ।
13. ठेकेदार द्वारा सही पद्धति से संतोषजनक संविदा कार्य नहीं होने पर/असंतोषजनक कार्य की शिकायत पर अथवा ठेका कार्य के दौरान किसी भी श्रमिक का कार्य या व्यवहार संतोषजनक नहीं होने पर पी.आई. द्वारा इस संबंध में शिकायत करने पर तुरन्त प्रभाव से श्रमिक को बदलना होगा/ वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । कार्य को उचित निर्देशानुसार संतोषजनक ढंग से करना होगा । असंतोषजनक कार्यों पर उचित कटौती की जाएगी । यदि ठेकेदार/फर्म कार्य के नियम व शर्तों व कार्य की आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों की व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो ठेका कार्य को बिना कारण बताए/बिना पूर्व सूचना के बिना रद्द करने का/अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का/सुरक्षा राशि जब्त करने का, अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
14. ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए । होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
15. फार्म/प्रोजेक्ट क्षेत्र में चल रहे अनुसन्धान, फसल इत्यादि की बाहरी ज़ंगली जानवरों से रक्षा हेतु व्यवस्था करनी होगी ।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा ।

17. अनुसंधान क्षेत्र/प्रोजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी आदमी या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए एवं फैसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च ठेकेदार से वसूल किया जाएगा ।
18. कार्यावधि में ठेकेदार के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. उपरोक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के बीजों के अंकुरित होने के बाद लगभग 4 ईंच से 5 ईंच तक पौधों तैयार होने पर पी. आई. / अधिकारी के अनुसार संतोषजनक कार्य होने पर 25 प्रतिशत तक भुगतान बिल प्रस्तुत करने पर किया जा सकता है और इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि देय नहीं होगी। भुगतान ठेके के अन्तर्गत किए गये कार्य का बिल प्रस्तुत करने पर 15 दिन के अन्दर कर दिया जाएगा ।
20. भुगतान समय—समयपरजोएक्टीविटीपूर्णहोगीउसका भुगतान संबंधित पी0आई0/[वैज्ञानिक/अधिकारी](#) के द्वारा बिल को सत्यापित करने के पश्चात कियाजायेगा ।
21. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे—ESI/EPF/Service Tax etc. यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो इनका का पूर्ण रूप से पालन करना होगा वह इसका समुचित रिकार्ड रखेगा/रखेगी तथा साक्ष्य के तौर पर मासिक बिल के सलंगन रसीद की फोटो प्रतिलिपि देनी अनिवार्य होगी । सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों, अनुदेशों व समय—समय पर सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।
22. C.L. (R&A) एक्ट 1970 सेक्सन 12 (1)की वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप ठेकेदार को इस संस्थान में 20 या अधिक श्रमिक नियुक्त करने के लिए वैध लाइसेन्स श्रम कार्यालय से प्राप्त करना होगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस संस्थान के कार्यालय में जमा करानी होगी । यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो ।
23. यह उचित होगा कि ठेकेदार/फर्म का राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए ।
24. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
25. श्रमिकों को श्रम कानूनों के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाएं ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करना अनिवार्य होगा ।
26. ठेकेदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरों को आधारभूत सुविधाएँ ठेका कार्यस्थल पर उपलब्ध करानी होगी जैसे पीने का पानी, छाया इत्यादि ।
27. स्वीकृत ठेका का कार्य आदेशानुसार पूर्ण होने के पश्चात पूर्व प्राप्त बिल की तीन प्रतियाँ श्रीमान निदेशक, काजरी जोधपुर के नाम भुगतान हेतु इस संस्थान में प्रस्तुत करनी होगी, जिसका भुगतान संबंधित पी0आई0/[वैज्ञानिक/अधिकारी](#) के द्वारा बिल को सत्यापित करने के पश्चात देय होगा ।
28. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जाएगी ।
29. परिषद्/संस्थान और श्रमिकों के बीच कोई संबंध नहीं होगा । वे केवल श्रमिक/ठेकेदार/फर्म के संविदा श्रमिक होंगे ।
30. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु—पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है । ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
31. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, काजरी को होगा ।
32. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक के0 शु0क्षे00सं0(CAZRI) का होगा ।
33. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

इच्छुकठेकेदार/फर्म अपनी दर **दिनांक 04/05/2017** समय **3.00** बजे तक सील बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा बॉक्स में डालें । निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक व समय के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त नियम व शर्तें ध्यान से पढ़ली हैं एवं इनकी अनुपालना के लिए मैं/ हम बाध्य रहेंगे/रहेंगे । किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना / कथन, एवं कार्य आदेश दिये जाने पर संविदा श्रमिकों के लिए मैं/हमारी फर्म / एजेन्सी पूर्ण जिम्मेवार होंगे ।

हस्ताक्षर निविदादाता(मोहर सहित)

ANNEXURE-II

**वित्तीय निविदा
(Financial Bid)**

सेवा में,

निदेशक, काजरी, जोधपुर।

महोदय,

Work Contract for carrying out Preparation and maintenance of sapling of tree plant at KVK, Jodhpur under Revolving KVK, Jodhpur के लिए संस्थान के निविदा आंमत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कायो हेतु हमारे द्वारा अग्रांकित दर प्रस्तुत किये जाते हैं:

S.no.	Name of crop	Type of saplings required	Quantity (Nos.)	Expected period of availability	Rate	Total Amount
1.	Pomegranate	Cutting	4000	July 2017 to September 2017	@ Rs. Each	
2.	Gonda	Budding	2000	September 2017	@ Rs. Each	
		Total	6000			

रूपये शब्दों में :

हस्ताक्षर निविदादाता (मोहर सहित)